


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन ग्रैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रैंड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम एवं पदव्यवधान स्थान (सहायि/बाउनाधि)	दिपय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर ध्यन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	योगेश कुमार दार्धीच, जान्दवो (यूक्त)	भौतिक विज्ञान	02.07.1971	02-17-98	अनुदानित से स्वीकृत	20 वर्ष	L-14	02-12-2018

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं नियम 2017 के तहत उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-09 में अंकित तिथि) का पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रैंड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा। निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जायें।



(हिमांशु गुप्ता) 24/09
आईएसएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिथिरा-मा/संस्था/सी-3/एसीपी/शंगक/आरवीआरईएस/एसीपी/2019/87 दिनांक: 27/01/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सभाग
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक
- 05- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एवं रहित पत्रावली।


(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: 11(7)/वि. (नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वि. (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनर्शिक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित नियम अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन श्रेण्ड (9300-34800)/(15600-39100)/धे मैट्रिक्स लेवल एवं कोलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम वय पदरथापन स्थान (शासनाधि/शासनाध्यायि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर धयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	महेन्द्र सिंह, पचेरी बड़ी (झुंझुनू)	भौतिक	12.12.1978	01.07.99	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01.07.19
2.	पुरुषराज गीणा, कुडगांव (करीली)	भौतिक	08.05.1972	27.12.97	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	27.12.17
3.	शीशराम यादव, रामपुर (अलवर)	गणित	19.08.1972	10.11.97	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	10.11.17
4.	दिनेश चन्द जागड़, ततारपुर (अलवर)	भौतिक	07.09.1967	19.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	19.12.18
5.	चन्द्रमान सिंह, गोविन्दगढ़ (अलवर)	भौतिक	27.05.1974	12.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	12.12.18

उक्त कार्मिकों का वेतन नियमन संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुरस्कार में आवश्यक रूप से की जावे।



(हिमांशु गुप्ता)

आई.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 27/01/2020

क्रमांक- शिविस-मा/संस्था/सी-3/भौगव/एसीपी/स्वीकृति/2019/197

प्रतिनिधि, निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संगाना
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 05- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एवं सक्षिप्त फायदगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर